

आदेश पर की ग
वारे में टिप्पणी ता
3

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील सं0- 08/2017-18

भानु प्रकाश शर्मा अपीलकर्ता

बनाम्

उधो शर्मा एवं अन्य उत्तरकारी

॥ आदेश ॥

19 07/2019

यह रे0मि0 अपील वाद सं0- 08/2017-18 भानु प्रकाश शर्मा बनाम् उधो शर्मा एवं अन्य सा0 बंदरा अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 569/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरुद्ध में दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी सं0- 01 उधो शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.11.2018 को मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उत्तरकारी सं0-01 उधो शर्मा का नाम इस वाद से हटाने हेतु आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0 569/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2017 द्वारा उत्तरकारी सं0- 01 उधो शर्मा को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है। उत्तरकारी नियुक्त प्रधान की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस वाद पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि प्रधान की नियुक्ति नियमानुसार की जाय। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं सशोधित ।

उपायुक्त
दुमका

उपायुक्त
दुमका।

37/07/19